# मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.द्वारकीलाल आयु 42 साल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जी
2.बंशीलाल आयु 50 साल पुत्र श्री नारायण जी जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा कोटा

**बनाम**

1.जमनालाल पुत्र दयाचंद जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा कोटा
2.रमेशचंद सुमन पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी फलेट नं0 801 शिवम एन्कलेव बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा
3.जानकी बाई पुत्री स्व0 प्रहलाद जी जाति माली
4.बसन्ती बाई पत्नि स्व0 प्रहलाद जी जाति माली
5.भूली बाई पुत्री प्रहलाद जी जाति माली
6.रामनाथ पुत्र केशो जी जाति माली
7.संजू बाई पुत्री प्रहलाद जी जाति माली
8.हनुमान पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
9.सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
10.थाना अधिकारी पुलिस थाना बोरखेड़ा कोटा

## —:: वाद अन्तर्गत धारा 88, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::—

मुकद्मा नं. 100/2021 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादी के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्चे लेखे ... X ....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 16 माह 06 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

| वादी | रूपये | प्रतिवादी | रूपये |
|---|---|---|---|
| 1. वादपत्र के लिये स्टाम्प | | शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प | |
| 2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प | | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | |

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744 232587

गिराज नम्बर – 85/2021

द्वारकी लाल आयु 42 साल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जी
वंशीलाल आयु 50 साल पुत्र श्री नारायण जी जाति माली
निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

बनाम

1. जमनालाल पुत्र दयाचंद जाति माली निवासी–ग्राम अर्जुनपुरा, तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2. रमेशचंद सुमन पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी फलेट नं0 801 शिवम एन्कलेव, बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा।
3. जानकीबाई पुत्री स्व0 प्रहलाद जी जाति माली
4. बसंती बाई पत्नि स्व0 प्रहलाद जी जाति माली
5. भूली बाई पुत्री प्रहलाद जी जाति माली
6. रामनाथ पुत्र केशो जी जाति माली
7. संजू बाई पुत्री प्रहलाद जी जाति माली
8. हनुमान पुत्र प्रहलाद जी जाति माली निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा कोटा
9. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
10. थाना अधिकारी पुलिस थाना बोरखेड़ा कोटा

वाद अंतर्गत धारा 88, 92–ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

दिनांक –16/6/25

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण की निम्नलिखित कृषि भूमियां ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थिति हैः–

1. ख0 नं0 408 की 0.1100 है0
2. ख0 नं0 409 की 0.0300 है0
3. ख0 नं0 411 की 0.1700 है0

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

क्त
यह
के रूप
कृषि
मी
प्र
अधि
वा

4. ख0 नं0 570 की 0.6600 है0
5. ख0 नं0 571 की 0.8900 है0

कुल किता की 1.8600 है0 (सभी नहरी प्रथम)

उक्त कृषि भूमियों पर वादीगण अपने पूर्वजो के जमाने से गत 50 सालों से भी अधिक समय से काविज है तथा काश्त करते चले आ रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड (जमाबंदी) में उक्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 8 के नाम पर दर्ज है, परन्तु उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही मुसलसल चला आ रहा है तथा वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे हैं, यह तथ्य प्रतिवादीगण के ज्ञान में है, अर्थात् वादीगण का उक्त कृषि भूमियों पर होस्टाईल पजेशन है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादी क्रम–2 रमेशचंद वादीगण के पास आया तथा कहने लगा कि प्रतिवादी क्रम–1 ने उसका हिस्सा प्रतिवादी क्रम–2 के नाम पर हस्तान्तरित कर दिया है, वादीगण ने पूछा कि वह हमे दस्तावेज की प्रतिलिपि दे कि किस प्रकार प्रतिवादी क्रम–1 ने भूमि प्रतिवादी क्रम–2 के नाम हस्तांतरित कर दी है तो उसने दस्तावेज तो नहीं बतलाए और वह वादीगण को धौंस देकर चला गया। उसके बाद प्रतिवादी क्रम–1 व 2 पुलिस थाना बोरखेड़ा कोटा (प्रतिवादी क्रम–10) को लेकर आए तथा वादीगण को उनके द्वारा धौंस दी गई कि प्रतिवादी क्रम–2 की भूमि उसके सुपुर्द कर दो वरना थाने में ले जाकर बंद कर दूंगा। इस प्रकार प्रतिवादी 1,2 व 10 ने मिलकर षडयंत्र करके वादीगण को जबरन उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर देने की धमकी दी है। उक्त कृषि भूमि में रेवेन्यू रेकॉर्ड के अनुसार वादी क्रम–1 का 1/36 तथा वादी क्रम 2 का 1/6 हिस्सा दर्ज है, परन्तु वादीगण उपरोक्त वर्णित संपूर्ण खसरा नम्बरान की भूमियों कर गत वर्षों से भी अधिक समय से अर्थात् अपने पूर्वजों के जमाने से काविज चले आ रहे हैं, जो प्रतिवादीगण के ज्ञान में है इस प्रकार वादीगण का संपूर्ण भूमि पर होस्टाईल पजेशन है।

अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वादीगण इस वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित समस्त कृषि भूमियों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है, अर्थात् वादीगण को उक्त कृषि भूमियों का खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि इस वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित कृषि भूमियों से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल नहीं किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमियों में वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की मदाखलत एवं

उपखण्ड अधिकारी

मजाहमत नहीं की जावे। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं प्रतिवादीगण करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के जरिये करवाये।

प्रतिवादी क्रम–3, प्रति0 क्रम 5, प्रति0 क्रम–7, प्रति–8 की ओर से वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी बाबत् वादपत्र खारिज किये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादी द्वारा अधिकारों की सहायता चाही है तथा स्वयं वादीगण द्वारा कृषि भूमि के खातेदार नहीं है तथा प्रार्थीक्रम/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि से किसी प्रकार का लेना–देना नहीं है तथा मात्र इस वादपत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण को खातेदार नहीं होने के कारण वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त वाद के संबंध में वादी का कोई लोकस स्टेन्डाई भी नहीं है। प्रार्थी क्रम–2 रमेशचंद सुमन को वादग्रस्त कृषि भूमि का रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है, इस कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाये बिना यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी क्रम–1 व 2 के खातेदार व काबिज काश्त होने के कारण वादीगण के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्ररतुत कर निवेदन है कि वादी के उक्त वाद पत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण क्रम–1 व 2 का प्रार्थना पत्र आदेश –7 नियम 11 में किसी भी पार्ट में नहीं आता है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है, क्योंकि वादीगण भी उक्त खाता में खातेदार है, जो कि वादपत्र की मद नं0 3 में अंकित है। वादीगण 50 वर्षो से अर्थात् अपने पूर्वजों के जमाने से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, भूमि की पिलाई वादी ही अदा करता चला आ रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.24 विद कोस्ट निरस्त फरमाया जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- बहरा उभयपक्ष सुनी गई
- पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस वकूलाय फरिकेन पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया गया।
- प्रार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत आराजी पर वे गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से अर्थात अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज चले आ रहे है। वही प्रतिवादी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है अर्थात वे वादग्रस्त कृषि भूमि के रिकोर्डेड खातेदार है।
- प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मे वादीगण द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी क्रम 2 रमेश चन्द सुमन को वादग्रस्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है इस कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाये बिना यह वादपत्र चलने योग्य नही है
- अभिभाषक प्रतिवादी प्रार्थी क्रम 1 व 2 का यह भी निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के वादी क्रम 1 व 2 हस्तगत आराजी के खातेदार व काबिज काश्त है अतः वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही होता है।
- वादीगण का सम्पूर्ण वाद इस तथ्य पर आधारित है कि वे विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से हस्तगत आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जो यह प्रमाणित करता हो कि हस्तगत आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है। वहीं प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 नियम सीपीसी का प्रार्थनापत्र इसी आधार पर प्रस्तुत किया है कि वे रिकोर्डेड खातेदार है तथा वादीगण के पक्ष मे कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही होता है ।
- हमने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमारे विनम्र मत मे प्रतिवादी क्रम 2 रिकोर्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादी क्रम 2 का मौके पर कब्जा ना हो, ऐसा कोई तथ्य वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के साथ प्रस्तुत नही किया है साथ ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सहादत या दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जो प्रश्नगत आराजी पर वादीगण के कब्जे को प्रमाणित करता हो।
- उक्त परिस्थितियों मे जबकि वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग कर रहे है तथा एडवर्स पजेशन से संबंधित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोई दस्तावेज अपने वादपत्र के साथ संलग्न नही कर रहे है, यह प्रमाणित है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण नही है, हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

- अतः प्रतिवादी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
- डिक्री परचा पृथक से जारी किया जावे।
- पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
कोटा